Regional Supplement
हरियाणा केसरी
@punjabkesaricom
PunjabKesari.com
PunjabKesari.com

गुरुग्राम केसरी

Punjab Kesari, Delhi 1 फरवरी 2025, शनिवार

डीएलएफ के 650 मकानों को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कापी जमा करने के निर्देश

गुरुग्राम, कुमार प्रवीण (पंजाब केसरी): नया गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेस टू के रिहायशी मकानों में अवैध निर्माण और संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के चलते 650 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के तहत सात दिनों के भीतर जवाब दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ मकान का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कापी जमा करने के निर्देश दिए हैं।

विभागीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डीएलएफ सिटी आरडब्लूए द्वारा विचाराधीन याचिका में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जमा की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से कारवाई की जा रही है।

पूरे डीएलएफ में अब तक 4000 मकानों को नोटिस

विभाग की तरफ से किए गए सर्वे के बाद डीएलएफ फेस एक से पांच में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर 4000 से अधिक मकानों का अब तक सर्वे कर लिया गया हैं। इसमें से सबसे अधिक मकान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, जिनमें सात से आठ फ्लोर का निर्माण कर लिया गया है। अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी मकानों में किया जा रहा है। अब तक विभाग की तरफ से डीएलएफ फेस तीन में करीब 3000 मकानों को, फेज एक में 200 से अधिक, डीएलएफ फेस चार और पांच में भी 200 से अधिक मकानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

हाईकोर्ट में लंबित याचिका की अनुपालना में डीएलएफ फेस-2 में अब तक करीब 650 मकानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। विभाग की टीम की तरफ से मकानों के बाहर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट और अब तक किए सर्वे के हिसाब से 31 जनवरी तक 4000 से अधिक मकानों को नोटिस जारी हो जाएंगे। इसके बाद एक्ट के अनुसार आगे कीकार्रवाई की जाएगी।

-अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

अब कोर्ट के फैसले पर नजर

हाई कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट के हिसाब से 31 जनवरी तक अब तक की सर्वे अनुसार नोटिस जारी किए जाने हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित याचिका की 23 जनवरी को सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब तक कोई आदेश नहीं आए हैं। विभाग और पूरे शहर की नजरें कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है। हालांकि 31 जनवरी को नोटिस की कारवाई पूरी होने के बाद विभाग की तरफ से रीस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। उसके तहत 10 से 15 दिन के भीतर लोगों को घरों से व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना होगा और अवैध निर्माण को भी अपने स्तर पर हटाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो विभाग के एक्ट के अनुसार मकानों पर सीलिंग, तोड़फोड़ और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद करने तक की कार्रवाई जो सकती है।

अब महाकुंभ में पहुंचना हुआ आसान प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा आज से

- बस अड्डे पर ऑफलाइन मोड से करानी होगी बुकिंग

गुरुग्राम, (पंजाब केसरी): गुरुग्राम से प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा परिवहन विभाग ने गुरुग्राम में श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए गुरुग्राम से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। इससे गुरुग्राम जिले के लोग भी सीधा रोडवेज बस से महाकुंभ मेले में जा सकेंगे। बस संचालन को लेकर रूट और किराया भी तय कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक प्रदीप अहलावत ने बताया कि एक फरवरी से यह सेवा शुरू की जा रही है। जिसमें प्रतिदिन गुरुग्राम बस अड्डे से साधारण श्रेणी की बस रोजाना गुरुग्राम डिपो से शाम 6 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी व अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। श्रद्धालु आराम से संगम में डुबकी लगाकर इसी बस से वापस भी लौट सकते हैं। वापसी में यह बस निर्धारित पार्किंग स्थल से पुन: शाम 6 बजे गुरुग्राम के लिए रवाना होगी। गुरुग्राम से प्रयागराज का एक तरफ का किराया 955 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बस यात्रा के लिए बस अड्डे पर स्थित ट्रैफिक शाखा में ऑफलाइन मोड यानी फिजिकल मोड में बुकिंग शुरू की गई है।

कासन, कुकड़ोला व सहरावन की 1810 एकड़ जमीन के मालिकों को मिलेगा एक और मौका

नो लिटिगेशन पॉलिसी- 2023 का लाभ लेने के लिए व 15 दिन के लिए फिर खोला जाएगा पोर्टल

- कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने की किसानों और एचएसआईआईडीसी अधिकारियों के साथ बैठक

दो दिन एचएसआईआईडीसी कार्यालय में बैठेंगे डीआरओ

राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो व पूरा कार्य समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सके। इसके लिए डीआरओ नरेश कुमार को हफ्ते में दो दिन मंगलवार व वीरवार को एचएसआईआईडीसी कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे इसके लिए एचएसआईआईडीसी के अधिकारी तीनों गांवों के पटवारी के साथ उनका आवेदनपत्र तैयार करने व अन्य कागजी कार्रवाई में सहयोग करेंगे। राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह किसान हितेषी सरकार निरन्तर उनकी उन्नति को लेकर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह जनता द्वारा जनहित के लिए चुनी गई सरकार है। जो किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नही होने देगी।

गुरुग्राम, कुमार प्रवीण (पंजाब केसरी):कासन, कुकड़ोला और सहरावन की 1810 एकड़ जमीन के मालिकों के लिए यह खुशी की खबर है। उन्हें नो लिटिगेशन पॉलिसी के तहत एक मौका और मिलेगा। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों संग बैठक कर मानेसर तहसील के कासन, कुकड़ोला और सहरावन गांवों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने किसानों की मांग पर 3 जनवरी को विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर 31 जनवरी तक पॉलिसी का लाभ देने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए थे।

बैठक में किसानों ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि अधिकतर किसान जो नो लिटिगेशन पॉलिसी- 2023 का लाभ लेने के इच्छुक थे। वे समय रहते इसका लाभ नही ले पाए। राव नरबीर सिंह ने किसानों की मांग पर संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पालिसी का लाभ लेने से वंचित रहे किसानों के लिए पोर्टल को पुन: 15 दिन के लिए खुलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वंचित किसानों के लिए अंतिम अवसर है। इसके उपरांत पोर्टल को नही खोला जाएगा।

बैठक में एचएसआईआईडीसी के एमडी सुशील सारवान ने नो लिटिगेशन पॉलिसी -2023 की जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति में भूमि मालिकों या लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है।

भूमि मालिक ओपन मार्केट में लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मुद्रीकरण कर सकता है या एचएसआईआईडीसी को वापस बेच सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।

बैठक में एचएसआईआईडीसी से चीफ कॉर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा ने बताया कि इस नीति में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर भूमि मालिक, भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को बाय बैक का भी विकल्प दिया है। इसके तहत, भूमि मालिक व लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक एचएसआईआईडीसी से वैध भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं।

नाबालिग का शव झाड़ियों में मिलने से फैली सनसनी

- मृतक की पहचान सरस्वती एंक्लेव की 17 वर्षीय दीक्षित के रूप में हुई

परिजनों ने कहा-हत्या हुई

गुरुग्राम, प्रदीप निराला(पंजाब केसरी): गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी स्थित खाली जगह में एक नाबालिक का शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। नाबालिक का शव झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिलते ही गुरुग्राम के सेक्टर 10ए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। मृतक नाबालिग की पहचान सरस्वती एंक्लेव निवासी 17 वर्षीय दीक्षित के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ घर पर ये कहकर गया था कि 2-3 घंटों में वापिस आ जाएगा। ज़ब वो देर रात तक नहीं आया तो उसकी सूचना पुलिस को दी। नाबालिक मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कहा कि गुमसूदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज होगी, कहकर हमें थाने से जाने को कह दिया। हालांकि पुलिस बाद में नाबालिक के लापता होने की सूचना दर्ज कर ली थी परिजनों ने कहा कि अगर पुलिस समय पर हमारी शिकायत लेकर उसकी तलाश करती तो शायद हमारा बच्चा अभी हमारे बीच होता।

मृतक नाबालिग के परिजनों ने शक जताया है कि उनके बेटे की हत्या करके उसके शव को झाड़ियों में फैका गया है। क्योंकि नाबालिक के शरीर पर व सर पर गहरे चोट के निशान भी हैं। ये भी जानकारी मिली है कि घटना स्थल पर शराब व सोढा व पानी की बोतल भी मिली है। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर कई अंगलों से जांच पड़ताल कर रही है, जाँच के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी कि नाबालिग मौत किन कारणों से हुई है।

नूरपुर झाड़सा, बसई, बंधवाडी और वजीराबाद के तालाबों की सफाई की गई

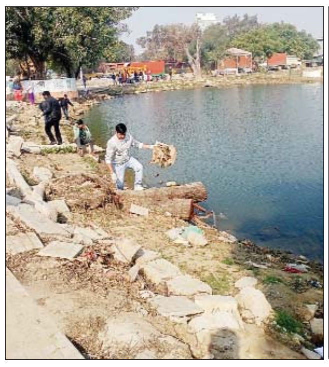

- गुरुग्राम में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर तालाबों की सफाई अभियान

गुरुग्राम, (पंजाब केसरी): नगर निगम गुरुग्राम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग, अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह और संयुक्त आयुक्त-स्वच्छ भारत मिशन अखिलेश कुमार यादव के नेतृत्व में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर शहर के बसई, बंधवाडी, वजीराबाद और नूरपुर झाड़सा के तालाबों की सफाई की गई। यह सफाई अभियान 30 दिनों तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य शहर के जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का इस साल का विषय "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण" है। इस दिवस ने हमें याद दिलाया कि वेटलैंड्स (आर्द्रभूमियां) सिर्फ जैव विविधता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समुदायों, उद्योगों और सांस्कृतिक विरासत में भी अहम भूमिका निभाती हैं। वेटलैंड्स प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो प्रदूषकों को रोकते हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। वे तूफानों के दौरान बफर के रूप में कार्य करते हैं, समुद्र तटों की रक्षा करते हैं और कृषि को समर्थन देने के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं। इस अभियान में नगर निगम के ब्रांड एंबेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी और स्वाति सिंह, हरा जीवन संस्था के सदस्य, तथा नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता और बागवानी टीम ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता राखी शर्मा ने किया, जिन्होंने इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। अभियान के दौरान, स्वयंसेवकों के समर्पित समूह ने तालाबों की सफाई में भाग लिया और इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस पहल से शहरवासियों में आर्द्रभूमियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।

निगम कमिश्नर दे रहे सीवरेज शिकायतों पर गंभीरता से त्वरित कार्रवाई के आदेश

- अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे, नहीं हो रहा आदेश का पालन

गुरुग्राम, प्रदीप निराला (पंजाब केसरी) नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग लगतात अपने अधिकारियों को सीवरेज से सम्बंधित शिकायतों को जल्द से जल्द उनका समाधान करने के बेशक आदेश दे रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारी उनके आदेशों को सुन तो जरूर रहे हैं लेकिन दूसरे कान से दोगुना तेजी से उनके आदेशों को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं कि गुरुग्राम में जिधर देखो उधर ही सीवर के मैंन हॉल खुले पड़े हुए हैं, जिनको बंद करने के बारे में अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं चल रही है। बादशाहपुर से सेक्टर 68 टीकली जाने वाली सड़क के बीचो बीच कई जगह सीवर के मैन हॉल खुले पड़े हैं जो दुर्घटनाओं को बुलावा दे रहे हैं। ऐसा कोइ दिन नहीं जाता जब इन सीवर के मैन हॉल के खुले होने की वजह से कोइ दो पहिया चालक गिरकर घायल न हुआ हो। राजेश सैनी, गजराज सैनी, कप्तान यादव, डीके सरपंच, शादीराम मास्टरजी, सचिन यादव, कुंदन सरपंच, सचिन गोड़, प्रदीप यादव, दलीप यादव, अजय यादव, विजय यादव, पदम् सैनी, बंसी सैनी, महेंद्र सैनी,बिसंबर यादव, बेद, आदि लोगों ने बताया कि इस सड़क की हालत सीवर खुले होने की वजह से बहुत खतरनाक हो गई है। उन्होंने बताया सीवर तो खुले हैं ही साथ ही वो ओवर फ्लो होने की वजह न दिखने के कारण और अधिक खतरनाक शाबित हो रहे हैं। जिसकी वजह से यहाँ हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। उपरोक्त लोगों ने कहा कि बेशक निगम कमिश्नर अपने अधिकारियों को हर रोज सीवरेज से सम्बंधित शिकायतों को त्वरित समाधान का आदेश देते हो लेकिन कमिश्नर के आदेश धरातल पर बिलकुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निगम कमिश्नर अशोक कुमार कुमार गर्ग से अपील की है कि टीकली रोड़ पर खुले सीवर के मैन हॉल को बंद करवाने का सख्त आदेश दे ताकि कोइ बड़ी दुर्घटना न होने पाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा हदसा यहाँ हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार केवल गुरुग्राम निगम होगा।

मकान से चोरी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार

गुरुग्राम, (पंजाब केसरी) : मकान से चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है, जिनके कब्जे से एक सोने की चेन, एक सोने का हार, एक जोड़ी सोने की पायल व एक लाख 22 हजार रुपए की नगदी बरामद की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 13 जनवरी को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी पटौदी रोड में एक लिखित शिकायत दी कि गांधी नगर स्थित उसके मकान से किसी अज्ञात द्वारा आभूषण व नगदी चोरी कर ली गई है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियाकें अंश, अमन, बिट्टू को काबू कर लिया।

बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए आरडब्ल्यूए के साथ विचार-विमर्श करेगा नगर निगम गुरुग्राम

गुरुग्राम, एमके अरोड़ा (पंजाब केसरी) : नगर निगम गुरुग्राम शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श करेगा। इस सिलसिले में निगम द्वारा अलग-अलग जोन के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएंगी। पहली बैठक शनिवार, 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे सेक्टर-9 स्थित सामुदायिक केंद्र में जोन-1 क्षेत्र के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ होगी। वहीं, दूसरी बैठक मंगलवार, 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें जोन-2 क्षेत्र की आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

इन बैठकों में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग स्वयं मौजूद रहेंगे। उनके साथ संयुक्त आयुक्त, चीफ इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता, जोनल टैक्सेशन अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी भाग लेंगे। नगर निगम इन बैठकों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने का प्रयास करेगा। बैठक में जल निकासी, सडक़ सुधार, कचरा प्रबंधन और कर प्रणाली सहित अन्य नागरिक सुविधाओं पर चर्चा करेंगे।

DDR COLLEGE OF EDUCATION
(Approved by NCTE and Affiliated to M.D. University, Rohtak)
(Khandewla, Gurgaon (Haryana)-122505 Ph: 9416302572, 9416713995,
www.ddrustagicollege.com, email - ddrcollege@gmail.com
Invites Applications For The Following Posts On Regular Basis Under SFS
TEACHING FACULTY
For M.Ed. :- Professor: 1, Associate Professor: 2, Assistant Professor: 6
For B.Ed. : - Assistant Professor: Perspectives in Education: 8, Assistant Professor: Pedagogy Subjects: 16 (Maths-2, Phy.Sc.-2, Soc.Sc.-3, Hindi-2, Sansk.-1, Home Sc.-1, Commerce-1, Eco.-1), Health & Phy. Edu.: 2, Fine Arts: 2, Performing Arts (Music/ Dance/ Theatre): 2
Non Teaching Faculty : -Librarian: 1, Library Assistant-1, Office Superintendent: 1, Office assistant-cum-accountant: 1, Clerk: 2, Lab Assistant: 2, Technical Assistant: 2, Storekeeper: 1, Lab attendant: 1, Computer operator: 1, Mali: 2, Peon: 2, Sweeper: 2, Chowkidar: 3
Qualification, Pay Scales & Experience as per norms of NCTE/UGC/State Govt. & MDU. The Qualification for Teaching Posts.
Application form is available on the website www.ddrustagicollege.com. Interested candidates may download it or obtain it from the college on any working day and apply with visible copies of all testimonials &experience certificates within 21 days from the date of publication of this advertisement i.e. till 21-02-2025 to the President of the College through Regd. Post/ by hand or at e mail: ddrcollege@gmail.com. A copy of the application form along with copies of all testimonials must also be sent to DCDC, MD University, Rohtak.
Note: Only those eligible candidates whose application forms are received in the college as well as in office of the DCDC, MDU, Rohtak within 21 days of publication of the advertisement i.e. till 21-02-2025 will be called for interview.
PRESIDENT, DDR COLLEGE OF EDUCATION